



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

National Institute of Fashion Technology

वस्त्र मन्त्रालय, भारत सरकार / (Ministry of Textiles, Govt. of India)

भोपाल उपमार्ग सड़क, भौरी, भोपाल - 462030 / Bhopal Bypass Road, Bhauri, Bhopal-462030

Website: nift.ac.in/Bhopal, Tel. (दूरभाष) 0755-2493736

जूस की दुकान चलाने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) Expression of Interest (EOI) for Running the Juice Shop

परिचय:

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना 1986 में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसे फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत में शिक्षा और अनुसंधान के प्रचार और विकास के लिए 2006 में संसद के अधिनियम (निफ्ट अधिनियम 2006) के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। निफ्ट अपने 20 केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में फैशन व्यवसाय शिक्षा प्रदान करता है। निफ्ट फैशन के क्षेत्र में व्यावसायिकों और छात्रों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन और प्रौद्योगिकी में चार साल का स्नातक (यूजी) कार्यक्रम, डिजाइन, फैशन प्रबंधन और फैशन प्रौद्योगिकी में दो साल का स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रम और अल्पकालिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करता है। निफ्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके परिसर बंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दमन, गांधीनगर, भोपाल, जोधपुर, कांगड़ा, कन्नूर, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, पटना, पंचकूला, रायबरेली, शिलांग श्रीनगर और वाराणसी में स्थित हैं।

निफ्ट, भोपाल ने अपना संचालन वर्ष 2008 में एक अस्थायी परिसर: निफ्ट ब्लॉक, एम.पी.भोज (ओपन) विश्वविद्यालय परिसर, कोलार रोड, भोपाल में शुरू किया और अब भोपाल-इंदौर बाईपास रोड, भौरी, भोपाल - 462030 में अपने स्थायी परिसर में वर्ष 2022 में स्थानांतरित हो गया है। वर्तमान में निफ्ट भोपाल में लगभग 800+ विद्यार्थी और 120 कर्मचारी हैं।

हम परिसर में जूस की दुकान संचालित करने के लिए एक सेवा प्रदाता के चयन की प्रक्रिया में हैं। ईओआई विवरण, निर्देश, नियम और शर्तें, आदि, जिन पर अनुबंध दिया जाना है, बाद के पृष्ठों में दिए गए हैं।

- निफ्ट भोपाल में जूस की दुकान चलाने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।
- एक सीलबंद लिफाफे में विधिवत भरे हुए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) फॉर्म के दस्तावेजों को व्यक्तिगत रूप से जमा किया जाना चाहिए या केवल पंजीकृत डाक या कूरियर द्वारा भेजा जाना चाहिए ताकि यह अंतिम तिथि तक संस्थान में पहुंच सके।
- ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि के बाद खोली जाएगी।
- अधिक जानकारी के लिए, कृपया जूस शॉप के लिए नियम और शर्तें देखें।
- संस्थान बिना कोई कारण बताए किसी या सभी रुचि की अभिव्यक्ति को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ।
I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मोहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal

- ईओआई जमा करने से पहले, सेवा प्रदाता को सलाह दी जाती है कि वह संभावित असाइनमेंट के लॉजिस्टिक्स से खुद को अवगत कराने के लिए संस्थान का दौरा करे। जूस की दुकान निफ्ट के छात्रों, कर्मचारियों, आगंतुकों और अतिथि शिक्षकों को प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है।
- निफ्ट कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए सेवाओं की सुविधा के लिए छुट्टियों के दौरान भी जूस की दुकान साल भर खुली रहेगी और पूरे दिन काम करने का समय सुबह 06.30 बजे से रात 09.30 बजे तक रहेगा।
- निदेशक के पास ईओआई दस्तावेज़ में उल्लिखित किसी भी नियम और शर्तों में संशोधन करने या वापस लेने या किसी भी या सभी एक्सप्रेसन ऑफ़ इंटरैस्ट को बिना कोई नोटिस दिए या कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और न्यूनतम अभिव्यक्ति को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। इस संबंध में निफ्ट भोपाल के निदेशक का निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

पात्रता मापदंड:

1. सेवा प्रदाता के पास समान प्रकार का व्यवसाय या गतिविधि संचालन का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
2. एमएसएमई पंजीकृत फर्म / वेंडर को नियमानुसार छूट की पात्रता होगी।
3. अनुबंध- I और अनुबंध- II के अनुसार।

संस्थान द्वारा विस्तारित की जाने वाली सुविधाएं:

1. संस्थान निर्दिष्ट स्थान पर सुविधाओं को चलाने के लिए स्थान प्रदान करेगा।
2. मीटर आधारित रीडिंग पर वास्तविक खपत के अनुसार बिजली और पानी का शुल्क लिया जाएगा।

सेवा प्रदाता के दायित्व:

1. सेवा प्रदाता सुविधा को संचालित करने के लिए केवल निर्धारित स्थान का उपयोग करेगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी अन्य स्थान का उपयोग नहीं करेगा।
2. सेवा प्रदाता हर समय क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। सभी उत्पन्न कचरे को अलग-अलग डिब्बे (सेवा प्रदाता द्वारा रखे जाने के लिए) में एकत्र किया जाना चाहिए और प्रतिदिन निकटतम कचरा संग्रह केंद्र में पहुंचाना चाहिए।
3. दुकान परिसर का छोटा-मोटा कार्य (रखरखाव) तथा रोशनी, पंखे, वाटर कूलर, जल निकासी आदि का नियमित रखरखाव ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
4. अनुबंध समाप्त होने पर, ठेकेदार परिसर को वापस निफ्ट, भोपाल को अच्छी कार्यशील स्थिति में सौंप देगा।

किराया और अन्य शुल्क:

1. दुकान चलाने के लिए न्यूनतम लाइसेंस शुल्क 2000/- रुपये प्रति माह निर्धारित की जाती है जो बोलीदाता के द्वारा प्रस्तुत अधिकतम लाइसेंस शुल्क के बाद परिवर्तित हो जाएगी।
2. मासिक लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त मीटर आधारित रीडिंग पर वास्तविक खपत के अनुसार विद्युत एवं जल शुल्क देय होगा।
3. लाइसेंसधारी द्वारा मासिक लाइसेंस शुल्क एनईएफटी/आरटीजीएस/ऑनलाइन/डीडी (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से प्रत्येक माह की 7 तारीख तक अग्रिम रूप से जमा किया जाएगा। निर्धारित तिथि के उपरांत प्रत्येक

मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मोहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal

दिवस 100/- विलंब शुल्क लागू होगा ।

4. लाइसेंसधारी कार्य/संविदा प्रारंभ होने से पहले निफ्ट के पास सुरक्षानिधि राशि के रूप में रु. 10,000/- (केवल दस हजार रुपये) जमा करेगा। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, और यह राशि अनुबंध के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद और देय राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद वापस कर दी जाएगी। इसे केवल एनईएफटी/आरटीजीएस/ऑनलाइन/डीडी (डिमांड ड्राफ्ट) ट्रांसफर के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। यदि डीडी द्वारा भुगतान किया जाता है तो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के पक्ष में एक डीडी तैयार करें। निफ्ट भोपाल बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है:

निफ्ट सामान्य खाता संख्या : 549102010009108

बैंक : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कोलार रोड, भोपाल-462041

IFSC : UBIN0554910

इस भुगतान का एक प्रमाण (यूटीआर कोड नंबर) accountteam.bhopal@nift.ac.in पर भेजा जाना है।

सेवा प्रदाता के लिए सामान्य नियम और शर्तें:

1. सप्ताह के सभी दिनों में दुकान सुबह 06.30 बजे से रात 09.30 बजे तक खुली रहनी चाहिए। अन्य दिनों में दुकान बंद करने के लिए निफ्ट भोपाल से अनुमति लेनी होगी।
2. परिसर में प्रतिस्पर्धी दरों पर सेवाएं प्रदान की जानी हैं।
3. कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 03 दिनों के भीतर बोलीदाता को जूस की दुकान चलाने के लिए तैयार होना चाहिए।
4. यदि सेवा प्रदाता वस्तुओं की बिक्री करता है तो वस्तुओं की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
5. निफ्ट ईओआई दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने के लिए प्रत्येक चूक के लिए न्यूनतम रु. 500/- प्रतिदिन का जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
6. जूस की दुकान के भीतर अनुपयोगी वस्तुओं या किसी अन्य वस्तु का कोई कचरा नहीं होना चाहिए। जूस की दुकान और सेवा क्षेत्रों के अंदर हाउसकीपिंग पूरी तरह से ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
7. ठेकेदार जूस शॉप में निम्नलिखित वस्तुएं उपलब्ध कराएगा (कोई प्लास्टिक कंटेनर/कप/मग/बर्तन का उपयोग नहीं किया जाएगा, इसके अतिरिक्त उपभोक्ता के अनुसार दोबारा इस्तेमाल होने योग्य / डिस्पोजेबल बर्तन का प्रयोग किया जाएगा)
 - i. ताज़ा फल
 - ii. ताजे फल/सब्जियों का रस/जूस
 - iii. गन्ने का रस/जूस(मौसम अनुसार)
 - iv. विभिन्न प्रकार के शेक
 - v. आइसक्रीम शेक
 - vi. आइसक्रीम संडे
 - vii. चॉकलेट / टॉफी
 - viii. नॉन एल्कोहलिक अन्य पेय पदार्थ
8. ठेकेदार को दुकान में बेचे जाने वाले सभी जूस की मूल्य सूची प्रदर्शित करनी होगी। निफ्ट भोपाल जूस शॉप में बेचे जाने वाले जूस की कीमत स्थानीय बाजार दर से अधिक नहीं होगी और नियमित आधार पर

मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ ।

I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मोहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal

निफ्ट अधिकारियों की समिति द्वारा अनुमोदित और समीक्षा की जाएगी। अनुमोदित दर सूची ठेकेदार द्वारा जूस शॉप क्षेत्र के भीतर उचित स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी। पैकड वस्तुओं पर अंकित एमआरपी से अधिक राशि पर वस्तुओं का विक्रय नहीं होगा।

9. ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारी सीधे ठेकेदार द्वारा पर्यवेक्षित और नियंत्रित होंगे, और निफ्ट के साथ उनका कोई संबंध नहीं होगा। निफ्ट के पास ऐसे कर्मचारियों को नियंत्रित या पर्यवेक्षित करने या नियम के तहत अनुमत के अलावा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसे कर्मचारियों का निफ्ट में किसी भी अस्थायी या स्थायी पदों के विरुद्ध सेवा या सेवाओं के नियमितीकरण के लिए निफ्ट के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा। सभी उद्देश्यों के लिए, ठेकेदार उनका मुख्य नियोक्ता होगा।
10. ठेकेदार के लिए निम्नलिखित स्वच्छता और सफाई के उपाय करना अनिवार्य होगा: (क) दुकान क्षेत्र को दिन में दो बार साफ करना, (ख) दिन के अंत में बर्तनों को गर्म पानी में भिगोना, (ग) क्राँकरी को डिटर्जेंट का उपयोग करके गर्म पानी से धोया जाना चाहिए, (घ) सप्ताह में एक बार रेफ्रिजरेटर, बोटल-कूलर और वाटर कूलर आदि की पूरी तरह से सफाई, (ड) कीटनाशकों का समय-समय पर छिड़काव, (च) दिन समाप्त होने पर डिटर्जेंट के साथ वॉश बेसिन की पूरी तरह से सफाई (छ) पाइप लाइन के चोक होने पर उसकी सफाई।
11. ठेकेदार द्वारा लगाए गए जूस शॉप के कर्मचारी: (क) हर समय पेशेवर विनम्र व्यवहार बनाये रखेंगे (ख) स्टाफ को साफ-सुथरे काम के कपड़े, एप्रन, दस्ताने आदि पहनने चाहिए। (ग) जूस शॉप के कर्मचारी बीड़ी नहीं पीएंगे। परिसर में सिगरेट या मादक पेय और पान, गुटखा, तम्बाकू आदि चबाने की अनुमति नहीं है।
12. जूस शॉप एवं निफ्ट भोपाल परिसर में ठेकेदार किसी भी प्रकार की सिगरेट, बीड़ी, पान, शराब आदि की बिक्री नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इन गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उस व्यक्ति को तुरंत परिसर छोड़ने के लिए कहा जाएगा और ठेकेदार इस शर्त के उल्लंघन के लिए अनुबंध को रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा।
13. ठेकेदार भुगतान के आधार पर निफ्ट भोपाल परिसर में निर्दिष्ट स्थानों पर निफ्ट कर्मचारियों को जूस परोसने की पर्याप्त व्यवस्था करेगा। ठेकेदार आवश्यकता के अनुसार भुगतान के आधार पर सरकारी बैठकों एवं सम्मेलनों में जूस परोसने की व्यवस्था भी करेगा।
14. निफ्ट भोपाल के पास सेवा प्रदाता को एक महीने का लिखित नोटिस देने के बाद लाइसेंस रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है और सेवा प्रदाता द्वारा किए गए विकास और परिचालन कार्य का निरीक्षण और नियंत्रण करने का अधिकार भी है और सेवा प्रदाता को निफ्ट भोपाल द्वारा जारी आदेश एवं निर्देश का पालन करना होगा। सेवा प्रदाता द्वारा संस्थान-विरोधी या अनाधिकृत गतिविधियों के पाए जाने पर अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।
15. सेवा प्रदाता को अपने आवंटित स्थान और सहायक उपकरण पर हर समय नियमित सफाई, स्वच्छ स्थिति और उपयुक्त परिसर जैसा अनुशासन सुनिश्चित करना होगा, जिसकी घोर उपेक्षा करने पर, अनुबंध को समय से पहले समाप्त करने सहित भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। सेवा प्रदाता द्वारा अपने खर्च पर कीट/कृतक नियंत्रण नियमित रूप से किया जाना चाहिए।

मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मोहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal

16. दुकान केवल संस्थान के लाभार्थियों द्वारा उपयोग के लिए खुली रहेगी। इस प्रकार, सेवा प्रदाता न तो परिसर के बाहर से किसी उपयोगकर्ता को आमंत्रित/सेवा प्रदान करेंगे और न ही आश्रय देंगे। इस व्यक्ति शर्त का उल्लंघन करने पर स्वतः ही संविदा समाप्त हो जाएगी।
17. संस्थान को किसी भी स्तर पर एक्सप्रेसन ऑफ इंटरैस्ट को रद्द करने का अधिकार है। किसी भी प्रकार के विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा और इस संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।
18. जूस की दुकान में कोई भी बाल श्रमिक नियोजित नहीं किया जायेगा।
19. सेवा प्रदाता द्वारा श्रम कानूनों आदि के सभी नियमों और विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।
20. सुरक्षा मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। आग बुझाने के यंत्र सुलभ स्थानों पर स्थापित होने चाहिए और काम करने की स्थिति में होने चाहिए। आपात स्थिति के लिए प्राथमिक उपचार के उपाय उपलब्ध होने चाहिए।
21. किसी भी स्तर पर काम को उप-अनुबंध (सबलेट/सब-कॉन्ट्रैक्ट) पर देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
22. यदि सेवा प्रदाता या उसके द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी, किसी के साथ झगड़ा या दुर्व्यवहार करते हुए या किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो संस्थान द्वारा अनुबंध समझौते को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में, सेवा प्रदाता को 3 दिनों के भीतर परिसर खाली करना होगा।
23. ईओआई जमा करने से पहले, सेवा प्रदाता को साइट की जाँच के लिए संस्थान में जाना चाहिए।
24. बोली लगाने वाले के पास किसी भी सरकारी / अर्धसरकारी / शैक्षणिक संस्थान में समान व्यवसाय का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

नियम और शर्तें:

1. अनुबंध की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी जिसे निफ्ट भोपाल के निर्णय के साथ प्रतिक्रिया और प्रदर्शन के आधार पर एक - एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार यह अनुबंध अवधि कुल तीन वर्ष की हो सकती है।
2. निर्धारित संपत्ति निफ्ट भोपाल के पूर्ण कब्जे में रहेगी और वर्तमान समझौता केवल सेवा प्रदाता को सहमत उद्देश्यों के लिए परिसर का उपयोग करने की अनुमति देता है।
3. सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का संस्थान की गठित समिति द्वारा औचक निरीक्षण/निगरानी की जाएगी।
4. सेवा प्रदाता प्रदान किए गए स्थान में संरचनाओं, काउंटरों और जुड़नारों को स्थापित करने के किसी भी संशोधन को करने से पहले निफ्ट भोपाल की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।
5. भवन/आवंटित स्थान/परिसर का निरीक्षण प्रत्येक माह निफ्ट भोपाल द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों/अधिकारियों के दल द्वारा किया जायेगा। इस टीम द्वारा देखे गए सभी नुकसान/टूट-फूट आदि को निरीक्षण के दस दिनों के भीतर सेवा प्रदाता द्वारा ठीक कर दिया जाएगा, जिसमें विफल होने पर निफ्ट भोपाल मरम्मत/नवीकरण कार्य करेगा और सेवा प्रदाता को लागत डेबिट करेगा और भुगतान न करने की स्थिति में सेवा प्रदाता की सुरक्षा जमा राशि से समायोजित किया जाएगा।
6. आवंटित स्थान की हाउसकीपिंग सेवा प्रदाता द्वारा अपने खर्च पर की जायेगी।
7. दुकान के संचालन का समय निफ्ट भोपाल के निर्देशानुसार होगा।

मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मोहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal

8. यदि सेवा प्रदाता लाइसेंस अवधि की समाप्ति के बाद या अनुबंध की समाप्ति की नोटिस अवधि के एक महीने के बाद आवंटित स्थान/भवन को खाली नहीं करता है, तो सेवा प्रदाता लागू अन्य शुल्कों के अतिरिक्त 1000/- रुपये के दैनिक दंडात्मक किराए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
9. सेवा प्रदाता निफ्ट भोपाल को आवंटित स्थान/भवन मूल अवस्था में आधारभूत संरचना सहित वापस सौंप देगा।
10. सेवा प्रदाता दुकान/आवंटित स्थान के आस-पास केवल निर्दिष्ट अनुमोदित गतिविधियां ही करेगा और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन में कोई भी अनिर्दिष्ट गतिविधियां नहीं करेगा। यदि सेवा प्रदाता किसी भी गैर-अनुमोदित गतिविधियों को करने में लिप्त पाया जाता है, तो निफ्ट भोपाल सेवा प्रदाता को एक महीने का लिखित नोटिस देकर लाइसेंस समझौते को रद्द करने के लिए स्वतंत्र है।
11. निफ्ट भोपाल के पास सेवा प्रदाता को एक महीने का लिखित नोटिस देने के बाद लाइसेंस रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है और सेवा प्रदाता द्वारा किए गए विकास और परिचालन कार्य का निरीक्षण और नियंत्रण करने का अधिकार भी है और सेवा प्रदाता को निफ्ट भोपाल द्वारा जारी आदेश एवं निर्देश का पालन करना होगा। सेवा प्रदाता द्वारा संस्थान-विरोधी या अनाधिकृत गतिविधियों के पाए जाने पर अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।
12. सेवा प्रदाता आवंटित स्थान/दुकान में निफ्ट भोपाल के नियमों, विनियमों तथा वर्तमान में लागू कानून के अनुसार गतिविधियों का संचालन करेगा और इसके उल्लंघन में और किसी भी स्थिति में गतिविधियों को अंजाम नहीं देगा। निफ्ट भोपाल के नियमों और देश के कानून के नियमों, विनियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए, पहली पार्टी बिना कोई कारण बताए लाइसेंस रद्द करने के लिए स्वतंत्र है।
13. दुकान/आवंटित स्थान में पूरी तरह से साफ-सफाई एवं स्वच्छ रखनी होगी। सेवा प्रदाता की गतिविधियों के कारण क्षेत्र में कहीं भी फेंका गया कोई भी कूड़ा सेवा प्रदाता द्वारा ही साफ/एकत्रित किया जाएगा।
14. ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी जूस/रस सामग्री ताजा, उपयुक्त रूप में परोसी जानी चाहिए। सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बासी जूस का सामान न बेचा जाए।
15. यह अनिवार्य है कि FSSAI द्वारा निर्धारित स्वच्छता के मानदंड सेवा प्रदाता द्वारा बनाए रखे जाएं। उपरोक्त के उल्लंघन से अनुबंध की तत्काल समाप्ति हो सकती है। शुद्ध यूवी और आरओ उपचारित पानी की आपूर्ति जहां भी आवश्यक हो, पीने के उद्देश्यों के लिए की जानी चाहिए।
16. कचरा एकत्र करना और उचित तरीके से निपटान करना सेवा प्रदाता की एकमात्र जिम्मेदारी है। किसी भी परिस्थिति में अपशिष्ट का निपटान सीवेज पाइपों या नालियों के माध्यम से नहीं किया जाएगा।
17. प्लास्टिक से बनी डिस्पोजेबल सामग्री जैसे प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, स्ट्रॉ आदि का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सभी आइटम/उपकरण/भंडारण/डिस्पले आवंटित क्षेत्र के भीतर होने चाहिए।

मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मोहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal

अनुबंध-1

यदि सेवा प्रदाता उपरोक्त नियमों और शर्तों से सहमत है, उपरोक्त पात्रता शर्तों को पूरा करता है और उपरोक्त गतिविधियों को चलाने में रुचि रखता है, तो उसे एक्सप्रेसन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) के साथ निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारी देनी होगी।

1. नीचे दिए गए प्रारूप में संपर्क विवरण (पता, टेलीफोन, ईमेल आईडी, आदि) लिखें।

| | | |
|-----|---|--|
| 1. | संस्था / मालिक का नाम | |
| 2. | संस्था/मालिक का पता | |
| 3. | पंजीकरण संख्या | |
| 4. | संपर्क विवरण | <ul style="list-style-type: none"> • मोबाईल नंबर • ईमेल आईडी |
| | | |
| 5. | • पैन संख्या | |
| | • जीएसटी संख्या | |
| 6. | सरकारी निकायों के साथ पंजीकरण विवरण | |
| 7. | एफएसएसआई पंजीकरण विवरण | |
| 8. | पिछले 3 वर्षों में जिन संगठनों के साथ काम किया, उनके नाम और पते का उल्लेख करें | |
| 9. | किसी भी सरकारी / अर्धसरकारी / शैक्षणिक संस्थान में जूस की दुकान चलाने का कुल वर्षों का अनुभव | |
| 10. | उन संगठनों के नाम और पते लिखें जिनके साथ वर्तमान में काम कर रहे हैं और जहां आपकी जूसकी दुकान है | |

नोट: उपरोक्त बयानों के समर्थन में सभी प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें।

2. और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज नीचे अनुलग्नक रूप में संलग्न किए जाने हैं।

- अन्य वैधानिक पंजीकरण/लाइसेंस, यदि कोई हो।
 - अनुभव विवरण, समर्थन अनुबंध प्रतियों के साथ
 - खाद्य सामग्री बेचने के लिए FSSAI का वैध लाइसेंस
 - इस ईओआई दस्तावेज के अन्य प्रावधानों के तहत आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज जो यहां ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है वह भी संलग्न करें।
3. रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) निर्धारित दस्तावेजों के साथ सभी तरह से पूर्ण है, इसे प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), भोपाल बाईपास रोड, भौरी, भोपाल -462030 को सीलबंद लिफाफे में जमा और संबोधित किया जाना चाहिए। लिफाफे के ऊपर "निफ्ट भोपाल में जूस की दुकान चलाने के लिए एक्सप्रेसन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई)" लिखा होना चाहिए।
4. ईओआई के सभी कागजात पर संगठन/मालिक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर और मोहर लगाई जानी चाहिए।
5. रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) उपरोक्त पते पर अंतिम तिथि को या उससे पहले पहुंच जानी चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त ईओआई पर विचार नहीं किया जाएगा। निफ्ट भोपाल डाक/कूरियर विलंब/हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मोहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal

निफ्ट भोपाल को लाइसेंस शुल्क के भुगतान का प्रस्ताव

मैं/हम निफ्ट भोपाल में जूस की दुकान के संचालन के लिए निफ्ट भोपाल को रु..... प्रति माह लाइसेंस शुल्क (बिजली शुल्क और पानी शुल्क को छोड़कर) भुगतान करने की पेशकश करता हूँ/करते हैं।
(शब्दों में, रुपये प्रति माह)
(कृपया अंकों और शब्दों में राशि का उल्लेख करें) + जीएसटी जो भी लागू हो।

चयन के मानदंड के लिए पात्रता है - उद्धृत उच्चतम लाइसेंस शुल्क।

घोषणा:

मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर :

मालिक/फर्म का नाम :

पता :

तारीख :

मोबाइल नंबर :

ईमेल आईडी :

मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ ।

I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मोहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal